

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 16/09/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 15.09.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भावरकोल व थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 25000/- रुपये का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल.32 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदा*

अवगत कराना है जनपद में दिनांक 14/15.09.24 रात को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी करीमुद्दीनपुर ने जरिये आर टी कंट्रोल को व जरिये दूरभाष थाना प्रभारी भावरकोल को सूचना दी गयी कि एक संदिग्ध व्यक्ति सोनाड़ी मोड़ पर दिखा जिसे रोकने पर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर ग्राम अवथही कि तरफ भाग रहा है आगे से पूर्व मे ही अवथई पेट्रोल पंप पर चेकिंग कर रहे थाना प्रभारी भावरकोल व थाना प्रभारी करीमुद्दीनपुर द्वारा ग्राम अवथई के पास घेराबंदी की गयी तो खुद को दोनों तरफ से घिरा देख बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया तो बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए घायल को प्राथमिक उपचार हेतु CHC गोडउर भेजा गया उक्त मुठभेड़ व गिरफ्तारी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं जनपद गाजीपुर से मुकदमे में वांछित तथा इनामिया चल रहा हूँ जब आप लोगों ने मुझे रोका तो पकड़े जाने के डर से भागने लगा और पकड़ा न जाऊ इसलिए मैं पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा मुझसे गलती हो गयी है। मुझे माफ़ कर दीजिए।

नाम पता घायल /गिरफ्तार अभियुक्त

1. संदीप यादव पुत्र दिनेश सिंह यादव निवासी बसनिया थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 144/24 धारा- 191(2),191(3),190,109,352,351(3),324(4) BNS थाना भावरकोल गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 603/22 धारा- 3/25 आम्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 605/22 धारा- 41/411 भादवि0 थाना कोतवाली गाजीपुर

4. मु0अ0सं0 100/20 धारा- 323/354/504 भादवि0 7/8 पाक्सो व 3(2)va SC/ST ACT थाना भावरकोल गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 40/21 धारा- 302 भादवि0 थाना भावरकोल गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 07/24 धारा- 302/2018/34 भादवि0 थाना सुहवल गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 148/24 धारा- 109(2) BNS व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना भावरकोल गाजीपुर

02. थाना-रामपुर माँझा पुलिस टीम द्वारा फौ0मु0नं0 2339/17 स्टेट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तारी किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना रामपुर माँझा टीम द्वारा उ0नि0 गजेन्द्र राय चीता मो0 दिन थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर द्वारा वारण्टी श्याम नारायण पुत्र देवाजीत राम निवासीगण नारीपचदेवरा थाना रामपुर माँझा गाजीपुर सम्बन्धित फौ0मु0नं0 2339/17 स्टेट बनाम पल्लू राम आदि थाना करण्डा दबिश देते हुए गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी-

श्याम नारायण पुत्र देवाजीत राम निवासीगण नारीपचदेवरा थाना रामपुर माँझा गाजीपुर उम्र 34 वर्ष

03. थाना-रामपुर माँझा पुलिस टीम द्वारा फौ0मु0सं0 7223/20 स्टेट बनाम पल्लू आदि थाना करण्डा धारा 323/504/325 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्रा मय हमराह का0 गौरव नायक व का0 मुकेश वर्मा थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर द्वारा वारण्टी राजेन्द्र कुमार उर्फ अनुराग कुमार पुत्र श्री राजनाथ ग्राम नारीपचदेवरा थाना रामपुर माँझा गाजीपुर सम्बन्धित फौजदारी मु0सं0 7223/20 स्टेट बनाम पल्लू आदि थाना करण्डा धारा 323/504/325 भा0द0वि0 थाना करण्डा दबिश देते हुए गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी-

राजेन्द्र कुमार उर्फ अनुराग कुमार पुत्र श्री राजनाथ ग्राम नारीपचदेवरा थाना रामपुर माँझा गाजीपुर उम्र 26 वर्ष

04. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा फौ0मु0 6951/2023 धारा 279,304 A भा0द0वि0 तथा फौ0मु0 3146/2011 से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15/09/2024 को उ0नि0 नन्दलाल मिश्रा मय हमराह का0 एहशान अली व का0 संजीव यादव द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा जारी फौ0मु0 6951/2023 धारा 279,304A भा0द0वि0 राज्य वीरू यादव थाना रेवतीपुर में वीरू यादव पुत्र स्व0 विजाधार सिंह यादव ग्राम गौरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर व फौ0मु0 3146/2011 राज्य बनाम सिंहासन मे नामित वारण्टी श्रीराम प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 टेगरी प्रसाद गुप्ता निवासी बेमुआ थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को समय करीब क्रमशः 12.40 बजे व 13.10 बजे अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

- 1. वीरू यादव पुत्र स्व0 विजाधार सिंह यादव ग्राम गौरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

- 2. श्रीराम प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 टेगरी प्रसाद गुप्ता निवासी बेमुआ थाना सुहवल जनपद गाजीपुर
- गिरफ्तारी का दिनांक व समय - दिनांक 15.09.2024 समय 12.40 बजे व 13.10 बजे ।
- गिरफ्तारी का स्थान- अभियुक्तगण का घर वहदग्राम गौरा व बेमुआ ।

➤ **05.थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा 25000 रु0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.09.2024 को थाना कासिमाबाद टीम द्वारा मु0अ0सं0- 112/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त मिथिलेश कुमार सैनी पुत्र चन्द्रदेव प्रसाद सैनी निवासी ग्राम बारा बलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को 01अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 15.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक महोदय कासिमाबाद व उ0नि0 पल्लवी सिंह मय हमराह थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व NBW वारण्टी की गिरफ्तारी के दृष्टिगत कुतुबपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दुधौडा-असना मोड़ के पास से इनामिया अभियुक्त मिथिलेश कुमार सैनी पुत्र चन्द्रदेव प्रसाद सैनी निवासी ग्राम बारा बलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को दिनांक 15.09.2024 समय 02.15 बजे गिरफ्तारी किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण –

मिथिलेश कुमार सैनी पुत्र चन्द्रदेव प्रसाद सैनी निवासी ग्राम बारा बलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 45 वर्ष

➤ **गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक –**

दिनांक 15.09.2024 समय 02.15 बजे असना दुधौडा मोड़ थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण –

01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 112/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर
- मु0अ0सं0 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

06. थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सिंचाई विभाग चौराहे पर स्थित दुकान पर कार्यरत अभियुक्त, शशिकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी तुलसी सागर कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर अपने उक्त नम्बर को कूट रचित करके आ0 न0 62 का रकबा 0.2040 हे0 से बढ़ाकर 0.60 हे0 कर के फर्जी मुहर लगाकर

प्रमाणित करते हुये कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने विद्यालय स्व0 सिंहासन सिंह इण्टर कालेज भड़सर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर की इण्टर मीडिएट मानविकी वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 452/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस बनाम अभय सिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। दिनांक 15.09.2024 को बड़ी बाग चुंगी पर चेकिंग के दौरान उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अभय सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी भड़सर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर 2. शशीकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 तुलसीसागर कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को समय 12.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता

1. अभय सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी भड़सर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर उम्र 43 वर्ष
2. शशिकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 तुलसीसागर कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 44 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 452/2024 धारा318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

07. थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा फौ0मु0 2599/16 धारा 323 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत माननीय न्यायालय मा0 न्यायालय एसीजे गाजीपुर द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0/ वारण्टी फौ0मु0 2599/16 धारा 323 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अर्जुन बिन्द पुत्र रामदरश बिन्द उम्र करीब 26 वर्ष निवासी-चकअब्दुल सत्तार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दिनांक 15.09.2024 उसके घर से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

अर्जुन बिन्द पुत्र रामदरश बिन्द निवासी-चकअब्दुल सत्तार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष

08. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 15.09.2024 को थानाध्यक्ष नन्दगंज मय हमराह कर्म0गण के मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में सम्बन्धित वारण्टी गण 1. बुधिराम पुत्र भूखल उम्र 48 वर्ष 2. बाढू पुत्र रामभजन उम्र 32 वर्ष 3. मुद्रिका पुत्र रामजतन उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम सगरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर व वारण्टी फेकू मौर्या पुत्र रामकुबेर मौर्या ग्राम धरवां थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष के घरों पर क्रमशः दबिश दिया गया तो वारण्टीगण अपने-अपने घर पर मौजूद मिले हैं। जिन्हे मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट दिखाकर नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी गण का नाम पता-

1. बुधिराम पुत्र भूखल निवासी ग्राम सगरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 48 वर्ष।
2. बाढू पुत्र रामभजन निवासी ग्राम सगरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष।
3. मुद्रिका पुत्र रामजतन निवासी ग्राम सगरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष।
4. फेकू मौर्या पुत्र रामकुबेर मौर्या निवासी ग्राम धरवां थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- दिनांक 15.09.2024 समय 10.00 बजे तथा 11.00 बजे

गिरफ्तारी का स्थान- वारण्टी गण का घर ग्राम सगरा व ग्राम धरवाँ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर